अनुदान संख्या 67 – खान मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF MINES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	1717,98,00	1385,29,52	-332,68,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			328,46,16
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	107,57,00	81,38,88	-26,18,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			26,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4855.00	3922.15	3911.14	-11.01
पु.	R.	-932.85			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6907.00	..	..	..
पु.	R.	-6907.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"				
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	160036.00	135029.69	134618.38	-411.31
पु.	R.	-25006.31			

(I) ₹7361.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6252.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक कार्यकलाप" के अंतर्गत– पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7361.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹6252.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खान मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹943.86 लाख की बचत (₹4855.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्था मामले न्यायाधीन होने, स्वच्छता कार्य योजना संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Ministry of Mines" - saving of ₹943.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4855.00 lakhs) was due to International Arbitration matter being under subjudice, receipt of less proposals towards Swacchta Action Plan and non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत–बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण"–

(A) "Geological Survey of India" -

(क) "प्रशिक्षण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹5775.11 लाख की बचत (₹7530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस स्थगित होने, के संवर्धन लिंकड प्रशिक्षण के विलंब होने के कारण

(a) "Training - Geological Survey of India Activities"- saving of ₹5775.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7530.00 lakhs) was due to postponement of 36th International Geological Congress

हुई।

(ख) "खनिज अन्वेषण– भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप"– ₹766.76 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्रिलिंग कार्यों में लगे आउटसोर्स एजेंसियों के बिलों के अंतिम रूप में विलंब होने, अंतिम तिमाही में आवर्ती व्यय के लिए वित्त मंत्रालय के प्रतिबंध होने और कोविड–19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹2493.09 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रणनीति के लिए तैयार न होने की वजह से भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) "अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹5503.56 लाख की बचत (₹11521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों में समय लगने और कई क्षेत्रों में संरचनात्मक पुनर्वितरण की वजह से सीपीडब्ल्यू द्वारा कम उपयोग किए जाने, ब्रोशर और अन्य प्रकाशन कार्य की कम मुद्रण होने, ओसीबीआईएस (ऑनलाईन कोर बिजनेस इंटिग्रेटेड सिस्टम) के बिलों की प्रक्रिया नहीं होने, दृश्यता गतिविधि गुणवत्ता मदों की अधिप्राप्ति न होने, आईटी उपकरणों की कम अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "खानों का विनियम और विकास" –

(क) "खनिज अन्वेषण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि कार्यकलाप" – ₹8169.26 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के लिए किराए

owing to COVID-19 pandemic and deferment of Promotion Linked Training of officers.

(b) "Mineral Exploration - Geological Survey of India Activities"- saving of ₹766.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to delay in finalisation of bills of outsourced agencies engaged in drilling works, restriction of Ministry of Finance for incurring expenditure in the last quarter and lockdown owing to COVID-19 pandemic.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Geological Survey of India Activities"- saving of ₹2493.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Geological Survey of India owing to non-devising of strategy.

(d) "Other Expenditure-Geological Survey of India" - saving of ₹5503.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11521.00 lakhs) was due to deferment of work and less utilization by Central Public Works Department owing to structural re-distribution in several zones, less printing of brochures and other publication work, non processing of bills of OCBIS (Online Core Business Integrated System), non-procurement of Visibility Activity Quality items and less procurement of IT equipments.

(B) "Regulation and Development of Mines" -

(a) "Mineral Exploration- National Mineral Exploration Trust Fund Activities" - saving of ₹8169.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to

नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को किराए पर लिए जाने को मूर्तरूप न दिए जाने, मुकदमेबाजी की वजह से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एयरो भूभौतिकीय सर्वेक्षण परियोजना के फेज–।। कार्य की शुरूआत न होने के कारण और अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा बिलों की कम राशि के बिल दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "खान ब्यूरों" –

(i) "भारतीय खान ब्यूरो" – ₹723.34 लाख की बचत (₹8817.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों का न भरे जाने, कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति होने, कम विदेशी दौरे किए जाने, कोविड–19 और मितव्ययिता के उपाय की वजह से सौंपे गए कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप" – ₹1227.03 लाख की बचत (₹2431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्प्यूटर, प्रिंटर की अधिप्राप्ति को मूर्त रूप न दिए जाने, मेसर्स विपरो लिमिटेड एंड एनआईएसजी को भुगतान न किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने और कोविड–19 की वजह से सौंपे गए कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "आरक्षित निधियों को अंतरण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि को अंतरण" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों द्वारा कम बिल दिए जाने की वजह से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को कम निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹399.17 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

non- materialization of hiring of office space for National Mineral Exploration Trust, non-commencement of Phase-II work of the aero geophysical survey project by Geological Survey of India owing to litigation issues and less amount of bills raised by Notified Exploration Agencies.

(b) "Bureau of Mines" -

(i) "Indian Bureau of Mines" - saving of ₹723.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8817.00 lakhs) was due to non-fillling up of vacant posts, less medical reimbursement, less foreign tours undertaken, non-completion of assigned work owing to COVID-19 and austerity measures.

(ii) "Indian Bureau of Mines Activities"- saving of ₹1227.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2431.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of computers, printers, non-payment to M/s Wipro Ltd & NISG, conduction of less training programmes and non-completion of assigned work owing to COVID-19.

(c) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to National Mineral Exploration Trust Funds" - saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to transfer of less Funds to National Mineral Exploration Trust owing to raising of less bills by Notified Exploration Agencies (NEAs).

(IV) Under one head saving of ₹399.17 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष "2853" – "भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(I) "निदेशन और प्रशासन" –

(का) "भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹2541.80 लाख का अधिक व्यय (₹66735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू–सर्वेक्षण कार्यकलापों में नियुक्त प्रशिक्षित/आउटसोर्स से लिए गए कामगारों से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹616.51 लाख का अधिक व्यय (₹5991.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराये पर लिए गए भवनों के लिए भाड़ा से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने; सांविधिक प्रभारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलापों" – ₹2237.19 लाख का अधिक व्यय (₹10905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को भुगतान से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹2623.00 लाख) कुल बचतों ₹2618.12 लाख से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं–

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2853" - "Geological Survey of India" - under the following heads:-

(I) "Direction and Administration"-

(A) "Geological Survey of India" - excess of ₹2541.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66735.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards skilled/ outsourced workers engaged in Ground Survey Activities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Geological Survey of India Activities" - excess of ₹616.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5991.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent for hired buildings, statutory charges and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "Survey & Mapping - Geological Survey of India Activities" - excess of ₹2237.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10905.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to Shipping Corporation of India (SCI) and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹2623.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹2618.12 lakhs.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	10368.00	8134.00	8138.88	+4.88
पु.	R.	-2234.00			

(I) ₹389.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹389.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय – भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप"– ₹2017.85 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वॉटर टेंकर की अधिप्राप्ति न होने और हाई रिज्यूलेशन सेकेन्डरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायक मदों की अधिप्राप्ति और अन्य पूंजीगत मदों से संबंधित साख पत्रों के जारी न होने के कारण हुई।

(II) Under "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Geological Survey of India Activities" - saving of ₹2017.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-procurement of water tanker and non-issue of letter of credit (LC) towards procurement of ancillaries of High Resolution Secondary Ion Mass Spectrometer and other capital items.